भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1181
दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम

†1181. श्री पी.सी. मोहन:
डॉ. राजीव भारद्वाज:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विजय बघेल:
श्री बृजमोहन अग्रवाल:
श्री रवीनद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों को त्वरित, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए के दूरदर्शी पहल शुरु की है;
(ख) फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) का ब्यौरा क्या है;
(ग) कार्यक्रम में मंत्रालय की भूमिका क्या है:
(घ) उन विमानपत्तनों की सूची क्या है जहां कार्यक्रम को लागू किया जाना है; और
(ङ) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा और नाम क्या हैं जहां उक्त कार्यक्रम पहले ही लागू किया जा चुका है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1181, दिनांक 30.07.2024

(क): जी, हाँ। सरकार ने दिनांक 22.06.2024 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईजीआई एयरपोर्ट) के टी-3 टर्मिनल, नई दिल्ली, पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) शुरू किया है। एफटीआई-टीटीपी का उद्देश्य त्वरित, आसान एवं सुरक्षित इमिग्रेशन क्लीयरेंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा प्रदान करना है। पहले चरण में इसे भारतीय नागरिकों तथा ओसीआई कार्डधारकों के लिए निःशुल्क आधार पर शुरू किया गया है ।

(ख): एफटीआई-टीटीपी को एक ऑनलाइन पोर्टल https://ftittp.mha.gov.inके माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। कार्यक्रम में नामांकन करने के लिए, आवेदक को पोर्टल पर अपना विवरण भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकृत आवेदकों के बायोमेट्रिक्स को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में या हवाई अड्डे से गुजरते समय कैप्चर किया जाएगा। पंजीकृत यात्री को ई-गेट पर एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करना होगा और फिर अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा। यात्री के बायोमेट्रिक्स को ई-गेट पर प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणीकरण हो जाने परई-गेट स्वत: खुल जाएगा और आप्रवासन की मंजूरी दी गई मानी जाएगी।

(ग): गृह मंत्रालय के तहत आप्रवासन ब्यूरो एफटीआई-टीटीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

(घ) और (ङ): एफटीआई-टीटीपी को दिनांक 22.06.2024 को आईजीआई विमानपत्तन, टी-3 टर्मिनल, नई दिल्ली पर तैनात किया गया है। पहले चरण में, इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली विमानपत्तन के अलावा मुख्य विमानपत्तनों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद को चिन्हित किया गया है।

******